**मूल हिंदी में**

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

 **अतारांकित प्रश्न सं. 2915**

12.12.2016 को उत्तर के लिए

**वनवासियों के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी शर्तों का क्रियान्वयन**

**2915. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पोलावरम बांध के लिए प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति के परिणामस्वरूप वनवासियों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार राहत मिलेगी;

(ख) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 2015 से कुरडूकोटा पंचायत और पायदिपाका में कोठुरू के किसानों को अधिनियम के तहत कोई लाभ नहीं दिया गया है;

(ग) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण संबंधी मंजूरी की शर्तों को पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया जाए; और

(घ) क्या पोलावरम बांध हेतु दी गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावित जनता की बातों को सुना जाएगा?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) से (ग) आन्‍ध्र प्रदेश में इंदिरा सागर (पोलावरम) बहुप्रयोजनीय परियोजना को शर्तों और निबंधनों के सख्‍त अनुपालन के अध्‍यधीन पर्यावरण प्रभाव मूल्‍यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 1994 के उपबंधों के अनुसार दिनांक 25.10.2005 को पर्यावरणीय स्‍वीकृति (ईसी) प्रदान की गई थी। शर्तों सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार दिनांक 28.07.2010 को वन स्‍वीकृति (एफसी) प्रदान की गई थी। ईसी में निर्धारित शर्त के अनुसार, पर्यावरणीय सुरक्षापायों के क्रियान्‍वयन का दायित्‍व पूर्ण रूप से परियोजना प्रस्‍तावक जो सिंचाई विभाग, जो कि आन्‍ध्र प्रदेश सरकार है, पर निहित है और एफसी में निर्धारित शर्त के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार को शर्तें क्रियान्वित करनी हैं। बंदोबस्‍त अधिकार और अनुसूचित-जाति और अन्‍य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्‍यता) अधिनियम, 2006 का अनुपालन प्राथमिक रूप से आंध्र प्रदेश सरकार का उत्‍तरदायित्‍व है। मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्‍यम से ईसी शर्तों के क्रियान्‍वयन की निगरानी की जाती है।

 (घ) पर्यावरण प्रभाग मूल्‍यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार, नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जन-परामर्श अनिवार्य अपेक्षा है जिससे स्‍थानीय प्रभावित व्‍यक्तियों और अन्‍य वो लोग जिन्‍होंने परियोजनाओं अथवा कार्यकलाप में पर्यावरण प्रभावों में वास्‍तविक हिस्‍सेदारी की है, के सरोकारों पर विचार किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी मार्गदर्शन के अंतर्गत, सुनिश्चित करेगा कि ओडिशा एवं छत्‍तीसगढ़ राज्‍यों के प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) सहित जलमग्‍नता और लोगों का विस्‍थापन नहीं होगा और एसटी सहित इन दो राज्‍यों की जनसंख्‍या न तो जल निकासी प्रणाली अथवा प्राथमिक/द्वितीयक विस्‍थापनों के किसी प्रकार द्वारा किसी रीति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी।

**\*\*\*\***